

19/12/22

अधिवक्ता उभयपक्ष उप. | प्रकरण का अपलोड करने से यह स्पष्ट है कि हाजि न्यायालय द्वारा पूर्व अपेक्षा दिनांक 28/10/21 के अन्तर्गत अपीलवा अधिवक्ता एवं विद्यार्थी अधिवक्ता की स्थान प्रार्थना पत्र के संबंध में सर्वसुखी जामर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतर्विम स्थान आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार का अपेक्षा दिया जाना व्यययोजित नहीं समझते हुए प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्षकारण को उच्च आपत्ति प्रकृत करने हेतु अपेक्षा किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को 30 दिवस में प्रकरण निस्तारण किया जाना का आदेश पारित किया गया है उक्त

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
--------------------	---	--

अपेक्षित अनुसार प्रकरण पूर्ण में ही
 अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु
 रिमांड किया जा चुका है। अतः उक्त
 अपील का कोर्ट ऑफिशियल नहीं रह जाता है।
 अतः अपील सार्वजनिक होने से खासियत
 की जाती है। पत्रावली केवल शुमार होकर
 बाप आवश्यक कार्यवाही दायित्व प्रसार हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
 माली